


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक सेवानिवृति आदेश दिनांक 09.03.2018 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिक श्री भारूराम, व्याख्याता-इतिहास जो राज्यसेवा से अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर जारी सेवानिवृति आदेश में क्रम संख्या 18 कॉलम संख्या 04 एवं कॉलम संख्या 05 पर अंकित जन्मतिथि 07.06.1958 के स्थान पर दिनांक 06.07.1958 एवं अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृति तिथि 30.06.18 के स्थान पर दिनांक 31.07.2018 में आंशिक संशोधन एतद् द्वारा किया जाता है।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।


  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक-07.05.18

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2018-19

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

01. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान
02. संबंधित उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
03. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
04. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
05. संबंधित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य
06. सम्बन्धित कार्मिक
07. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपडेट बाबत।
08. निजी / रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर